

अज अदालत
फर्द अहकाम
(नियम 26)

उमराराम/पुम्बा/म
जाट साईयो का तला
अडेल

बनाम तीजोदेवी w/o जुगलराम
साईयो को तला अडेल

मुकदमा संख्या 38/2023

<p>तारीख हुकम</p>		<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
-----------------------	--	---

23.6.23

यह वाद/आवेदन/अपील वादीगण/प्रार्थीगण/अपीलांत की ओर से वकील श्री पाबुराम खन्ना अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान कोटवाल अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। वादीगण/प्रार्थीगण/अपीलांत द्वारा प्रतिवादीगण/विप्रार्थीगण/उत्तरदातागण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. जारी करने का निवेदन किया गया। जो प्रतिवादीगण/विप्रार्थीगण/उत्तरदातागण को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी नोटिस/सम्मन से तलब किया जावे। रजिस्ट्री खर्चा वादीगण/प्रार्थीगण/अपीलांत वहन करेगा। वकील प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण/अपीलांत को विप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण/उत्तरदाता के नोटिस/सम्मन तलबी की दस्ती दी जावें। पत्रावली वास्ते-प्रतिवादीगण/ विप्रार्थीगण/उत्तरदाता की तलबी व जवाब हेतु दिनांक 08.08.2023 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

08.08.23

~~पाबुराम खन्ना~~
~~पीएम अडेल में - सम्मानित अधिकारी~~
~~के ऑफिस में पत्रावली दाखल की~~
~~कृपया 5.10.23 के लिए~~

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

~~श्रीमान निराम कलक्टर अडेल के पत्रावली 4018 दिनांक 11.08.2023 द्वारा अडेल में श्रीमान निराम कलक्टर का सुझाव देने पर सेवाधिकारी के इच्छित सुझाव हेतु पत्रावली SDO गुडामालानी को भेजा है सम्मानित की जाती है~~

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी



10/1/24

पत्रावली पेश हुई ।
आज हम दीगर आवश्यक कार्यों
में व्यस्त है । अतः इत्तवा होकर
पत्रावली आइन्दा 1-1-24 को पेश हो ।

11/3/24

पत्रावली पेश हुई ।
आज हम दीगर आवश्यक कार्यों
में व्यस्त है । अतः इत्तवा होकर
पत्रावली आइन्दा 1-1-24 को पेश हो ।

15/5/24

पत्रावली पेश हुई ।
आज हम दीगर आवश्यक कार्यों
में व्यस्त है । अतः इत्तवा होकर
पत्रावली आइन्दा 27/5/24 को पेश हो ।

27-05-24

पत्रावली पेश हुई ।
आज हम दीगर आवश्यक कार्यों
में व्यस्त है । अतः इत्तवा होकर
पत्रावली आइन्दा 31-5-24 को पेश हो ।

31/05/24

पत्रावली का पेश हुआ । वकील कारीगण
रुजूस्थित । कारीगण रुजूस्थित । कारीगण
को मध्य रुजूस्थित केरुई समय में तीर
वार तीर-तीर कावाजे दिली गई ।
कावर्स कावाजे दिली के कारीगण
व कारीगण के रुजूस्थित रुजूस्थित
की उक्त उक्त प्रकरण कारीगण
की उक्त उक्त व उक्त प्रकरुई है
रुकीरुई बिना जाता है पत्रावली विरुई
सुमार होकर रुकीरुई रुकीरुई है